प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं. 1950/ 2024

संत कुमार, पिता- राजकिशोर, आयु- लगभग 35 वर्ष, निवासी- ग्राम- सिखारा, पोस्ट- जलालपुर, थाना- माधसेना, जिला-फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।

..... अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य स्टेशन, द्वारा- थाना प्रभारी, थाना- बासागुड़ा, जिला- बीजापुर, छ.ग.

..... उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री फौजिया मिर्जा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नवीन शुक्ला, अधिवक्ता के साथ

उत्तरवादी की ओर से : श्री शशांक ठाकुर, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री बिभू दत्त गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

द्वारा- मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा

19/06/2025

1. अपीलार्थी ने यह अपील भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में, बी. एन. एस. एस.) की धारा 415 (2) के तहत प्रस्तुत की है, जिसमें सत्र विचारण सं. 104/2018 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (नक्सल) दंतेवाड़ा, जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, द्वारा पारित 27.08.2024 दिनांकित आक्षेपित निर्णय पर प्रश्न उठाया गया है जिसके द्वारा अपीलार्थी को सिद्धदोष किया जाकर निम्नानुसार दण्डादेश दिया गया है-

धारा के तहत दोषसिद्धि	दण्ड	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने पर
भा.द.वि. की धारा 302 (चार बार)	आजीवन कारावास (चार बार)	रु. 500/- (चार बार)	अतिरिक्त 4 वर्ष का कठोर कारावास
भा.द.वि. की धारा 307	10 वर्ष का कठोर कारावास	रु. 500/-	अतिरिक्त 2 वर्ष का कठोर कारावास
आयुध अधिनियम की धारा 25(1ख)(क)	2 वर्ष का कठोर कारावास	रु. 500/-	अतिरिक्त 4 माह का कठोर कारावास
आयुध अधिनियम की धारा 27(1)	3 वर्ष का कठोर कारावास	रु. 500/-	अतिरिक्त 6 माह का कठोर कारावास
दण्ड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।			

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अपीलार्थी/अभियुक्त संत कुमार पर भा.द.वि. की धारा 302 (चार बार), 307 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1ख)(क) और 27(1) के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था कि 09.12.2017 को लगभग 16:30 बजे, सी. आर. पी. एफ. बटालियन शिविर परिसर में, उप- निरीक्षक विक्की शर्मा (बल संख्या 041603393), उप- निरीक्षक मेघ सिंह (बल संख्या 850826452), सहायक उप- निरीक्षक राजवीर सिंह (बल संख्या 880925653), आरक्षक/जी. डी. शंकर राव घंटा (बल संख्या 015142312) की हत्या करने के आशय से, अपीलार्थी ने उन पर आग्नेयास्त्रों से गोलीबारी की जिससे उनकी मृत्यु हो गई और गजानंद (बल संख्या 903046724) को भी आग्नेयास्त्रों से गोली की चोट पहुँचाई। उक्त कृत्य उसके द्वारा इस तरह के आशय या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में किया गया था कि यदि उक्त कृत्य के कारण गजानंद (बल संख्या 93046724) की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता। अपीलार्थी के विरूद्ध यह भी आरोप लगाया गया था कि उसने अवैध रूप से अपने कब्जे में एक आग्नेयास्त्र, एक

राइफल रखी थी और इसका उपयोग उपरोक्त कर्मियों को चोट पहुँचाने और उनकी मृत्यु कारित करने के लिए किया था।

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में यह है कि ड्यूटी (कर्तव्य) के आवंटन को लेकर आरक्षक संत कुमार अर्थात् अपीलार्थी और सी.आर.पी.एफ. 168 वीं बटालियन जी कंपनी बासागुड़ा, जिला बीजापुर में तैनात उप- निरीक्षक विक्की शर्मा के मध्य वैमनस्य था। अपीलार्थी ड्यूटी आवंटित किए जाने से नाराज था और सहायक उप- निरीक्षक राजवीर सिंह, उप- निरीक्षक चौधरी मेघ सिंह, आरक्षक शकर राव घंटा ने उसका समर्थन किया। घटना दिनांक को, अपीलार्थी ने अपनी सर्विस राइफल को अपनी बैरक में रखा और अधीनस्थ अधिकारी के विश्राम कक्ष में गया और उसकी सर्विस राइफल **AK**47 ले ली और कैंप गार्डन के अंदर काम कर रहे उप- निरीक्षक विक्की शर्मा, सहायक उप- निरीक्षक राजवीर सिंह, उप- निरीक्षक चौधरी मेघ सिंह और आहत सहायक उप- निरीक्षक गजानंद पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें सहायक उप- निरीक्षक गजानंद ने घायल अवस्था में भागकर अपनी जान बचाई और अन्य तीन की मृत्यु हो गई। घटना के बाद, आरक्षक शंकर राव घंटा, जो मनोरंजन कक्ष के पीछे सुरक्षा के लिए छुपा हुआ था, की अपीलार्थी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस प्रकार, अपीलार्थी ने चार सी.आर.पी.एफ. कर्मियों की हत्या कर दी थी और एक को आहत कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इस घटना के संबंध में, लिखित सूचना प्र.**P**. 1 सूचनादाता राजेश्वर दुबे (अ.सा.-1) द्वारा बासागुड़ा पुलिस स्टेशन में लिखित सूचना दी गई और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.**P**/2) दर्ज किया गया। मर्ग सूचना प्र. **P**/3, **P**/4, **P**/5 और **P**/6 दर्ज किए गए। घटना स्थल का एक नक्शा (प्र.**P**/7) तैयार किया गया था और पटवारी ने भी घटना स्थल का एक नक्शा तैयार किया था जो प्र. **P**/13 था। अपीलार्थी के दाहिने हाथ और बाएं हाथ से लिए गए 'हैण्डवाश' को सीलबंद किया गया और संपत्ति जप्ति पत्रक (प्र. **P**/19) तैयार किया गया और साक्षियों की उपस्थिति में घटना स्थल से मृतकों की खून से सनी हुई मिट्टी और सादी मिट्टी जब्त की गई और जप्ति पत्रक (प्र. **P**/22) तैयार

किया गया।घटना स्थल से **AK**47 से गोलीबारी के बाद खाली खोखे बरामद किए गए और जप्ति पत्रक (प्र. **P**/23) तैयार किया गया और मृतकों के खून से सने कपड़ों को जब्त कर संपत्ति जप्ति पत्रक (प्र. **P**/25) तैयार किया गया और जप्ति पत्रक प्र. **P**/27 भी तैयार किया गया। मृतकों का शव-परीक्षण प्र. **P**/34, **P**/36, **P**/37 और **P**/38 के अनुसार किया गया। जब आरक्षक रामा नेताम ने बीजापुर पुलिस स्टेशन में घटना के समय अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़े प्रस्तुत किए तो संपत्ति जप्ति पत्रक (प्र.**P**/26) तैयार किया गया था। सूचना देने वाले और साक्षियों के पुलिस कथन अभिलिखित किए गए। पुलिस द्वारा विभिन्न वस्तुओं को जब्त किया गया और परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अन्वेषण के बाद, अपीलार्थी द्वारा मृतकों की हत्या का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया गया और उसके विरूद्ध बीजापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग- पत्र प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय को उपार्पित किया गया, जिसे सत्र विचारण सं. 104/2018 के रूप में दर्ज किया गया।

6. अपीलार्थी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 272 (चार बार), 307 और आयुध अधिनियम की धारा 25 (1 ख) (क) और 27 (1) के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए जिन्हें अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया गया। अपीलार्थी ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण के लिए प्रार्थना की।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए राजेश्वर दुबे (अ.सा.-1), शेर सिंह (अ.सा.-2), सुवेश कुमार तिवारी (अ.सा.-3), दिलीप कुमार सिंह (अ.सा.-4), कर्तार सिंह (अ.सा.-5), श्रीकांत चौबे (अ.सा.-6), गजानंद शर्मा (अ.सा.-7), बीजू कुमार जी. (अ.सा.-8), अजय कुमार नंदी (अ.सा.-9), श्रीमती नीलम्मा दसर (अ.सा.-10), रमेश ठाकुर (अ.सा.-11), महेंद्र कुमार यादव (अ.सा.-12), लखमा दुर्गम (अ.सा.-13), कडती नागेश (अ.सा.-14), मोदियम मरैया (अ.सा.-15), के. गुरुशेखर (अ.सा.-16), नागेश कड्डी

(अ.सा.-17), मोदियम मरैया (अ.सा.-18), भानु प्रताप चिडियाम (अ.सा.-19), शरद कुमार सिंह (अ.सा.-20), डॉ. पी. विजय (अ.सा.-21) और डॉ. पवन मिल्खे (अ.सा.-22) का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण के समर्थन में 38 प्रदर्श भी प्रदर्शित किए।

8. बचाव में उन्होंने मडकम जोगा (ब.सा.-1), मडकम पायके (ब.सा.-2), मिदियम सुला @रवि (ब.सा.-3), कडती नारायण (ब.सा.-4), कडती धर्म (ब.सा.-5), सुरेश कडती (ब.सा.-6), दीपा दुर्गम (ब.सा.-7), डॉ. सुधांशु शेखर (ब.सा.-8) और सुरेंद्र बघेल (ब.सा.-9) का परीक्षण किया और श्रीकांत चौबे (अ.सा.-6), रमेश ठाकुर (अ.सा.-11) और महेंद्र कुमार यादव (अ.सा.-12) के पुलिस कथन प्र. डी/1, डी/2 और डी/3 के रूप में प्रदर्शित किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का कथन दर्ज किया गया जिसमें उसने कहा कि वह निर्दोष था और उसे इस प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। उसने कहा कि फरवरी 2017 में, नरसापुर पोलमपल्ली गाँव में तलाशी अभियान के दौरान, उसके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, दो व्यक्ति जो उन्हें देखकर एक घर के अंदर छिपे हुए थे, उन्हें उसके और व एक अन्य कर्मी द्वारा पकड़ा गया और बाहर लाया गया। उन्हें पक्ष के द्वारा बांधकर वापस लाया जा रहा था। सुबह लगभग 05:00 बजे उनमें से एक, मडकम बोड़ा, को माओवादी वर्दी पहनाकर एक पेड़ से बांधने के बादगोली मार दी गई। दूसरे व्यक्ति, मडका के बेटे मिडियम सुला को बासागुडा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहाँ से उसे कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया। जब उसने उपरोक्त घटना के संबंध में विरोध किया, तो उसे बताया गया कि अधिकारी उपरोक्त प्रकरण की जांच कर रहे थे और जब घटना दिनांक को शिविर में बल के कर्मियों की मृत्यु हो गई, तो उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसा दिया गया।

10. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के बाद, अपीलार्थी/अभियुक्त को सिद्धदोष किया जैसा कि इस निर्णय के प्रारंभिक कण्डिका में विस्तार में बताया गया है। इसलिए, अपीलार्थी/दोषसिद्ध द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

11. अधिवक्ता श्री नवीन शुक्ला के साथ उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री फौजिया मिर्ज़ा निवेदन करती हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि हथियार **AKM** राइफल और **AK**47 राइफल दो अलग-अलग हथियार हैं और यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि **AK**47 राइफल जिससे गोलीबारी हुई थी, अपीलार्थी को आवंटित की गई थी। इस प्रकरण में अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाने का मुख्य कारण यह है कि उसने सी.आर.पी.एफ. कर्मियों द्वारा फर्जी मुठभेड़ के विरूद्ध आवाज उठाई थी। यह दर्शाने के लिए आगे कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं है कि गोलियां उस राइफल की थीं जिसका उपयोग अपीलार्थी द्वारा किया जा रहा था जिसे विभाग द्वारा आवंटित किया गया था। सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं और विभाग के विरूद्ध नहीं जाएंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. सुश्री मिर्ज़ा अंत में निवेदन करती हैं कि अपीलार्थी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का सदस्य है और भारी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। उक्त स्थान पर कार्य वातावरण और सशस्त्र बल के एक सदस्य को जिस तनाव के स्तर से गुजरना पड़ता है, वह बहुत अधिक है। अपीलार्थी इस तथ्य से निराश था कि उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर अपीलार्थी को स्वयं पर नियंत्रण खोने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में यह निवेदन किया गया कि भले ही अभियोजन पक्ष का प्रकरण जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाए, फिर भी कहा जाता है कि अपीलार्थी ने आवेग की तीव्रता और गुस्से में मृतकों को चोट पहुंचाई थी। अतः अपीलार्थी का प्रकरण भा.द.वि. की धारा 300 के अपवाद 4 के दायरे में आता है और अपीलार्थी का कृत्य सदोष मानववध है जो हत्या के बराबर नहीं है। अतः यह एक उपयुक्त प्रकरण है जहां भा.द.वि. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को

भा.द.वि. की धारा 304 (भाग -I या भाग -II) के तहत अपराध में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः वर्तमान अपील को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

13. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर निवेदन करते हैं कि अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह से स्थापित किया है कि वह अपीलार्थी ही था जिसने प्रश्नगत अपराध कारित किया था। साक्षियों के अभिसाक्ष्य में मामूली बदलाव साक्षियों के अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता को हिला नहीं सकते हैं। अपीलार्थी ने पूर्व नियोजित तरीके से बिना किसी कारण के अपने ही साथी सदस्यों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी और एक आहत चक्षुदर्शी साक्षी है और इस तरह, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किए गए दोषसिद्धि और दण्ड के निर्णय में, न्यायसंगत और उचित होने के कारण, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपरोक्त तर्क- वितर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का परिशीलन किया है।

15. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी, चार मृत व्यक्ति और एक आहत व्यक्ति, सभी राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हैं। चार सी. आर. पी. एफ. कर्मियों की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी, किसी भी पक्ष द्वारा विवादित नहीं है। मृतक शंकर राव घण्टा (प्र. **P**/34), विक्की शर्मा (प्र. **P**/36), मेघ सिंह (प्र. **P**/37) और राजवीर सिंह (प्र. **P**/38) की शव- परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि गोली की चोटों के कारण रक्तस्राव के आघात (शॉक) के कारण उनकी मृत्यु हुई। जिला अस्पताल, बीजापुर के चिकित्सा अधिकारी डॉ. पी. विजय (अ.सा.-21) ने मृतक शंकर राव घण्टा का शव- परीक्षण किया था और डॉ. पवन मिल्खे (अ.सा.-22) ने मृतक विकी शर्मा, मेघ सिंह कुंजाम एवं राजवीर सिंह का शव- परीक्षण किया था। उन दोनों ने अभिकथन किया कि मृतकों की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी जो बंदूक की गोली लगने से कारित हुई थी। मृतकों के शरीर पर लगे घाव गोली के घाव थे।

16. विद्वान विचारण न्यायालय, डॉ. पी. विजय (अ.सा. -21) और डॉ. पवन मिल्खे (अ.सा.-22) जिन्होंने शव- परीक्षण किया था, के कथनों पर भरोसा करते हुए स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मृतकों की मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। मृतकों की मृत्यु की प्रकृति के संबंध में विवाद्यक को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कण्डिका 10 से 22 तक काफी विस्तार से विचार कियागया है। विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज उक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथ्य का निष्कर्ष है, जो न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है। अन्यथा भी, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया है। हम एतद्द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस न्यायालय के लिए विचारार्थ प्रश्न यह होगा कि क्या अपीलार्थी ही अपराधी है?

18. यह सुस्थापित है कि दोषसिद्धि एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, पुष्टि के बिना भी, अगर न्यायालय साक्षी को पूरी तरह से विश्वसनीय और भरोसेमंद पाती है। यद्यपि, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए साक्षी की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि यह किसी भी संदेह या विरोधाभास से मुक्त है, और यह कि साक्षी विश्वसनीय है और प्रकरण की परिस्थितियों के अनुरूप है। ऐसी कोई विधिक आवश्यकता नहीं है कि दोषसिद्धि को कई साक्षियों या पुष्टि करने वाले साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। एक एकल, विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकता है। न्यायालय साक्षी की विश्वसनीयता का आकलन करती है, न कि केवल साक्षियों की संख्या का।

19. वर्तमान प्रकरण में, सशस्त्र बल अर्थात् सी.आर.पी.एफ. के सदस्यों के रूप में कई चक्षुदर्शी साक्षी हैं जो शिविर में ही मौजूद थे जहां घटना हुई थी। इसके अलावा, वर्तमान प्रकरण में, गजानंद शर्मा (अ.सा.-7) आहत चक्षुदर्शी साक्षी हैं और उसका साक्ष्य बहुत प्रासंगिक होगा। आहत साक्षियों द्वारा दिया गया शपथपूर्वक अभिसाक्ष्य आम तौर पर

महत्वपूर्ण साक्ष्य का वजन रखती है। इस तरह के अभिसाक्ष्य को तब तक अविश्वसनीय मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करने वाली पर्याप्त अस्पष्टता, विसंगतियां या विरोधाभास न हों। यदि अभिसाक्ष्य में कोई अतिशयोक्ति है जो प्रकरण के लिए महत्वहीन है, तो इस तरह की अतिशयोक्ति की अवहेलना की जानी चाहिए; हालाँकि, यह पूरे साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बना देता है।

20. **बालू सुदाम खाल्डे व एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य** {2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस. सी. 355}, सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

> "26. जब एक आहत चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना है तो न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित अधो- उल्लिखित विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक हैः
>
> (क) घटना के समय और स्थान पर एक आहत चक्षुदर्शी साक्षी की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके अभिसाक्ष्य में भौतिक विरोधाभास न हों।
>
> (ख) जब तक कि यह साक्ष्य द्वारा अन्यथा स्थापित नहीं किया जाता है, यह विश्वास किया जाना चाहिए कि एक आहत साक्षी वास्तविक दोषियों को बच निकलने और अभियुक्त को गलत तरीके से फंसने नहीं देगा।(ग) आहत साक्षी के साक्ष्य का अधिक प्रमाणिक मूल्य होता है और जब तक कि ठोस कारण मौजूद न हों, उसके कथनों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
>
> (घ) आहत साक्षी के साक्ष्य पर प्राकृतिक आचरण में कुछ अलंकरण या मामूली विरोधाभासों के कारण संदेह नहीं किया जा सकता है।
>
> (ई) यदि किसी आहत साक्षी के साक्ष्य में कोई अतिशयोक्ति या अभौतिक अलंकरण है, तो इस तरह के विरोधाभास, अतिशयोक्ति या अलंकरण को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आहत के साक्ष्य से हटा दिया जाना चाहिए, परन्तु पूरे साक्ष्य से नहीं।

(च) अभियोजन पक्ष के संस्करण के व्यापक आधार पर विचार किए जाना चाहिए और समय के साथ स्मृति की हानि के कारण होने वाली विसंगतियों को त्याग दिया जाना चाहिए।"

21. गजानंद शर्मा (अ.सा.-7) सी.आर.पी.एफ., 168 बटालियन, बीजापुर में सहायक उप-निरीक्षक है। उसने शपथपूर्वक कथन किया है कि घटना दिनांक अर्थात् 09.12.2027 को लगभग 4:30 वह, उप- निरीक्षक मेघ सिंह, उप- निरीक्षक विक्की शर्मा, सहायक उप-निरीक्षक, राजवीर सिंह और खुद के साथ शिविर क्षेत्र के अंदर थे और अपने-अपने काम कर रहे थे। अचानक, गोलीबारी शुरू हो गई और जब उसने देखा कि अपीलार्थी उन पर ही गोली चला रहा है तो वह तुरंत जमीन पर लेट गया। उसने मेघ सिंह, विक्की शर्मा, राजवीर सिंह पर गोलियां चलाईं और उन्हें मार डाला। जब राइफल की मैगजीन खाली हो गई और अपीलकर्ता राइफल को फिर से लोड करने के लिए मैगजीन बदलने वाला था और गोलीबारी बंद हो गई, तो यह साक्षी तुरंत फील्ड अस्पताल की ओर भागा। इसके बाद, अपीलार्थी ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें उसे तीन गोलियां लगीं- एक दाहिने हाथ की छोटी उंगली पर, एक दाहिने हाथ की कोहनी के पास और एक दाहिने पैर के टखने के पास। उसे अन्य लोगों द्वारा फील्ड अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे एम्बुलेंस में बीजापुर अस्पताल ले जाया गया और वहां से उसे एयरलिफ्ट कर आगे के इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया। उसी एम्बुलेंस में मेघ सिंह, विक्की शर्मा, राजवीर सिंह के शव को भी ले जाया गया। आरक्षक शंकर राव घंटा को भी गोलियाँ लगी थीं, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई और उसके शरीर को भी एम्बुलेंस में बीजापुर अस्पताल ले जाया गया। प्रति-परीक्षण में, इस साक्षी ने विशेष रूप से इस बात से इन्कार किया है कि उक्त दिनांक पर शिविर पर कोई नक्सली हमला हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. राजेश्वर दुबे (अ.सा.-1) सी.आर.पी.एफ., 168 बटालियन, सरकेगुडा का सहायक कमांडेंट है। घटना दिनांक को वह पापा पोस्ट पर था जब उसने संध्या लगभग 4:25-4:30 बजे गोलीबारी की आवाज सुनी। उसने अन्य कर्मियों को सतर्क कर दिया। वह अपनी **AK**47 राइफल लेकर एक कर्मी के साथ बाइक पर मुख्य शिविर की ओर चला गया। जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने अपीलार्थी को शिविर के अंदर स्थित मंदिर के पास देखा। जब उसने अपीलार्थी से पूछा कि गोलियाँ कहाँ से चल रही थीं, तो वह चुपचाप खड़ा था। जब वह उसके पास पहुँचा तो अपीलार्थी ने उसे बताया कि उसने गोली चला दी थी और चार-पाँच लोगों को मार गिराया था। इसके बाद, इस साक्षी ने तुरंत अपीलार्थी की राइफल पकड़ ली और पकड़ने पर, राइफल की नली गर्म पाई गई। जब उसने अपीलार्थी से सख्ती से पूछा कि क्या हुआ था, तो अपीलार्थी ने सूचित किया कि उसने कंपनी की गंदगी को साफ कर दिया है और कुछ और को साफ करने की आवश्यकता है। उसने उससे राइफल छीनने की प्रयास किया परन्तु अपीलार्थी ने उसे पीछे धकेल दिया जिसके कारण वह नीचे गिर गया और उसके घुटनों और दाहिने पैर के पैर के अंगूठे पर चोटें आईं। इसके बाद, दो अन्य कर्मी आए और इस साक्षी से राइफल छीनने में उसकी मदद की। अपीलार्थी के सीने में एक थैली थी जिसमें चार मैगज़ीन थीं जो उससे छीन ली गई थीं। आरक्षक के. गुरुशेखर ने अपीलार्थी से छीनी गई **AKM** राइफल की जाँच की और राइफल से मैगज़ीन को अलग कर दिया और बैरल चैम्बर में पड़े गोली को खाली कर दिया। जब इस अपीलार्थी ने फिर से अपीलार्थी से पूछा कि उसने क्या किया है, तो उसने बताया कि उसने गंदगी को साफ कर दिया था और एक साइकिल स्टैंड के पास पड़ा था और उनमें से तीन बागवानी क्षेत्र के पास पड़े थे और जब क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, तो उन्होंने आरक्षक शंकर राव घंटा को खून से लथपथ पाया और वह मृत था। बागवानी क्षेत्र में तीन कर्मी मृत पड़े थे। चारों कर्मियों को एक स्ट्रेचर पर फील्ड अस्पताल ले जाया गया। जब वह अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि आहत उप- निरीक्षक गजानंद शर्मा का इलाज चल रहा था, जिनके हाथ में गोली लगी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थी। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि अपीलार्थी ने चारों लोगों को मार डाला और उसे आहत कर दिया। इस साक्षी ने लिखित शिकायत (प्र. **P**/1) की थी, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र. **P**/2) दर्ज किया।

23. आरक्षक शेरसिंह (अ.सा.-2) ने कथन किया कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने अपीलार्थी को राइफल पकड़े खड़ा देखा और जब अपीलार्थी से राजेश्वर दुबे (अ.सा.-1) ने पूछा, अपीलार्थी ने कहा कि उसने शिविर से गंदगी को साफ कर दी थी।अपीलार्थी ने आगे कहा कि उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए और वह खुद अपना जीवन समाप्त कर लेगा। अ.सा.-1 के निर्देश पर, उसने अन्य कर्मियों के साथ **AKM** राइफल छीन ली और अपीलार्थी के पास एक अन्य **AK**47 राइफल भी थी। जब यह साक्षी राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था, तो गर्म बैरल से उसकी हथेली जल गई। इसी तरह का अभिकथन आरक्षक सिवेश कुमार तिवारी (अ.सा.-3) ने किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. दिलीप कुमार सिंह (अ.सा.-4) प्रधान आरक्षक है और कैंप मेस ऑफ द में तैनात था। घटना दिनांक को, वह बल के लिए भोजन तैयार करा रहा था, तभी अचानक उसे गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। सभी कर्मी यह सोचकर सतर्क हो गए कि माओवादियों ने उन पर घात लगाकर हमला किया होगा। जब वह उद्यान क्षेत्र की ओर भागा तो उसने देखा कि अपीलार्थी उद्यान क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों पर गोली चला रहा था। वह डर गया और बैरक की ओर भागा। उस समय, उसने देखा कि गजानंद शर्मा (अ.सा.-7) आहत था और मुश्किल से चल पा रहा था, जिस पर वह शिंदे नामक एक आरक्षक के साथ उसे फील्ड अस्पताल के अंदर ले गया। 10-15 मिनटों बाद, सहायक कमांडेंट, राजेश्वर दुबे (अ.सा.-1) पहुंचा और अपीलार्थी को पकड़ने के बाद, पुलिस अपीलार्थी को पुलिस स्टेशन ले गई। इस साक्षी ने स्पष्ट अभिकथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा शुरु किए गए गोलाबारी के कारण विक्की शर्मा, राजवीर और मेघ सिंह की मृत्यु हो गई और एक आरक्षक की भी मृत्यु हो गई। यद्यपि, उसने अभिकथन किया है कि उसने अपीलार्थी को मृतकों की हत्या करते हुए स्वयं नहीं देखा। कर्तार सिंह (अ.सा.-5) भी प्रधान

आरक्षक में से एक है जिसने कहा कि वह टावर पोस्ट में था जब उसने देखा कि अपीलार्थी ने गोली चला दी थी और शंकर राव घंटा को गोली मार दी थी। इसके बाद वह मंदिर की ओर आया और आसमान की ओर गोली चलाई। अपीलार्थी के पास **AKM** और **AK**47 राइफल थी जिसे राजेश्वर दुबे (अ.सा.-1) और अन्य कर्मियों ने छीन लिया। श्रीकांत चौबे (अ.सा.-6) और विजू कुमार जी (अ.सा.-8) ने भी इसी तरह का अभिकथन किया है।

25. अजय कुमार नंदी (अ.सा.-9) जी. डी. सी. आर. पी. एफ. के सहायक उप- निरीक्षक है, जिसने गोलीबारी की आवाज सुनकर घटना दिनांक को तीन बार सीटी बजाई थी। शाम को लगभग 4 बजे उसने चार कर्मियों को बैरक के पास इकट्ठा होने के लिए कहा था और वह उन्हें कार्य वितरित कर रहा था। उस समय उप- निरीक्षक विकी शर्मा ए. उप- निरीक्षक राजवीर सिंह, उप- निरीक्षक मेघ सिंह चौधरी और सहायक उप- निरीक्षक गजानंद शर्मा के साथ रख- रखाव का कार्य देखने आए। उस समय लगभग 4:15 – 4:20 बजे अपीलार्थी आरक्षक संतराम उनके पास आया और कहा कि उसकी ड्यूटि (कर्तव्य) बदली जानी चाहिए और कारण पूछने पर उसने कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इस पर, इस साक्षी ने उसे फील्ड अस्पताल से दवा लेने के लिए कहा और कहा कि उसकी ड्यूटि बदल दी जाएगा। 8-10 मिनटों के बाद, उसने गोलीबारी की आवाज़ सुनी जिस पर वह बैरक से बाहर आया और अपनी **AK**47 राइफल और गोलियाँ ले गया। जैसे ही वह बैरक से बाहर आया, उसने देखा कि सहायक उप- निरीक्षक गजानंद शर्मा (अ.सा.-7) आहत था और चिल्ला रहा था। आहत को फील्ड अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद, इस साक्षी ने तुरंत आंतरिक फोन पर सहायक कमांडेंट राजेश्वर दुबे (अ.सा.-1) को सूचित किया। इसके बाद फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। उसने देखा कि अपीलार्थी के हाथ में **AKM** राइफल और पीठ पर **AK**47 राइफल थी। जब अपीलार्थी से राजेश्वर दुबे (अ.सा.-1) ने पूछा कि क्या हुआ था, तो अपीलार्थी ने उसे सूचित किया कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसने तीन-चार कर्मचारियों को मार गिराया था। इसके बाद हथियार छीन लिए गए और अपीलार्थी को पुलिस को सौंप दिया गया।

26. अ.सा.-10, श्रीमती नीलम्मा दसर, बासागुड़ा में स्थित राहत कैम्प की निवासी है। वह पक्षद्रोही हो गई है तथा उसने अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है चूँकि उसने अभिकथन किया है कि उसे घटना कि कोई जानकारी नहीं है।

27. साक्षी प्रधान आरक्षक रमेश ठाकुर (अ.सा.-11), सहायक कमांडेंट महेंद्र कुमार यादव (अ.सा.-12) तथा के. गुरुशेखर (अ.सा.-16) ने भी इसी तरह का शपथ पूर्वक कथन करते हुए अपीलार्थी के दोष को इंगित किया है।

28. भानु प्रताप चिडियाम (अ.सा.-19) वह पटवारी है जिसने नजरी नक्शा (प्र. **P**/13) तैयार किया था और शरद कुमार सिंह पुलिस निरीक्षक और अन्वेषण अधिकारी हैं जिसने अन्वेषण किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. हमने बचाव पक्ष के साक्षी- मडकम जोगा (ब.सा.-1), मडकम पायके (ब.सा.-2), मिडियम सुला @रवि (ब.सा.-3), कडती नारायण (ब.सा.-4), कडती धर्म (ब.सा.-5), सुरेश कडती (ब.सा.-6) और दीपा दुर्गाम (ब.सा.-7) के शपथपूर्वक कथनों का भी अवलोकन किया है, परन्तु उनका प्रश्नगत अपराध से कोई प्रासंगिकता नहीं है और इस तरह, अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं हैं।

30. साक्षी- राजेश्वर दुबे (अ.सा.-1), शेर सिंह (अ.सा.-2) और सुवेश कुमार तिवारी (अ.सा.-3) की भी चिकित्सकीय जांच की गई और उन्हें लगी चोटों की, जैसा कि विद्वान विचारण न्यायलय के समक्ष कहा गया है, एम.एल.सी. रिपोर्ट (प्र. **P**/14, **P**/15 और **P**/16) से पुष्टि होती है।

31. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण में, अपीलार्थी ने ऐसा प्रकरण बनाने की प्रयास किया है कि चूंकि उसने एक निर्दोष ग्रामीण की अवैध हत्या के विरूद्ध

आवाज उठाई थी, इसलिए उसे एक झूठे प्रकरण में फंसाया गया है। यद्यपि, अपीलार्थी द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कैसे चारों व्यक्तियों की गोलियों से मृत्यु हो गई और एक कर्मी घायल हो गया, जबकि शिविर पर कोई नक्सल हमला नहीं हुआ था। अगर कोई नक्सल हमला होता तो इसकी सूचना निश्चित रूप से पुलिस को दी जाती जो कि इस प्रकरण में नहीं हुआ है। इसके विपरीत, साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि चूंकि अपीलार्थी मृतकों व्यक्तियों से नाराज था क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी कि अपीलार्थी अवांछित कारणों से पोस्ट (स्थान)/शिविर छोड़ देता था और चला जाता था। उसे उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डांटा जा रहा था और उसे शिविर से बाहर नहीं जाने की सलाह दी जा रही थी। मृतकों विक्की शर्मा को मुख्यालय के आदेश के अनुसार डॉग हैण्डलर पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए चार व्यक्तियों को नामित करने की जिम्मेदारी प्रदान करना थी, जिसमें मृतकों ने अपीलार्थी का नाम सुझाया था और ऐसे में, उसे छुट्टी प्रदान नहीं की गई थी, जिसके कारण अपीलार्थी को मृतकों से शिकायत थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. सशस्त्र बलों के कर्मियों की काम करने की स्थिति बेहद खतरनाक और घातक हो सकती है जिसमें युद्ध और शांति दोनों स्थितियों में विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इन खतरों से तत्कालिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं, चोटें और यहां तक कि मौतें भी हो सकती हैं। यद्यपि, सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए अनुशासन का स्तर एक सामान्य नागरिक की तुलना में बहुत अधिक है। वे सभी प्रकार के दबावों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं। बिना छुट्टी के लंबे समय तक काम करना और कठिन वातावरण किसी भी व्यक्ति को अपने सहकर्मियों की मृत्यु का कारण बनकर अपना गुस्सा निकालने का अधिकार नहीं देता है। अपीलार्थी, सशस्त्र बल का सदस्य होने के नाते, क्षेत्र के लोगों की नक्सलियों से रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, परन्तु अपना ड्यूटि निभाने के बजाय, अपीलार्थी ने साथी सदस्यों पर दो असॉल्ट राइफलों से अंधाधुंध प्रहार करने का एक कठोर कदम उठाया, जो किसी भी तरह से भा.द.वि. की धारा 304 भाग I या II के तहत नहीं आ सकता है। अपीलार्थी परिणाम

के बारे में अच्छी तरह से जानता था और आम तौर पर, सशस्त्र बल के किसी सदस्य को केवल एक राइफल प्रदान की जाती है, परन्तु अपीलार्थी के पास एक समय में दो राइफलें थीं और उसने दोनों राइफलों का उपयोग किया था, जिससे पता चलता है कि उसने अपराध करने के लिए पूर्व-योजना बनाई थी।

33. अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा किए गए शपथपूर्वक कथन के विश्लेषण से हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/दोषी के अपराध के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है।

34. तदनुसार, अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और एतत्द्वारा खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. अपीलार्थी/दोषी का जेल में बताया गया है। वह 27.08.2024 दिनांकित आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश के माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया दण्ड भुगतेगा।

36. रजिस्ट्री को इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजने का निर्देश दिया जाता है, जहां अपीलकर्ता अपनी जेल की सजा काट रहा है, अपीलार्थी को यह सूचित करने के लिए कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यालालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यालालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

37. मूल अभिलेख के साथ इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति आवश्यक जानकारी और कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

सही/- सही/-

(बिभू दत्त गुरु) (रमेश सिन्हा)

न्यायाधीश **मुख्य न्यायाधीश**

शीर्ष टिप्पण

आहत चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का महत्वपूर्ण प्रमाणिक मूल्य होता है। इस तरह के साक्ष्य को तब तक अविश्वसनीय मानकर खारिज नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी विश्वसनीयता को कम करने वाली पर्याप्त विसंगतियां या विरोधाभास न हों।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**